न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 24 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
हसन खां पुत्र श्री हाजीखां कौम मुसलमान निवासी सागाणा तहसील सायला जिला जालोर	1. मादल खां पुत्र श्री राधू खां 2. मिसरे खां पुत्र श्री अकबर खां 3. खमीशा खां पुत्र अकबर का.मु. 3/1उमरखां पुत्र श्री खमीशा 3/2 कुरबानखां पुत्र श्री खमीशा खां 3/3 कोजेखां पुत्र श्री खमीशा 3/4 रजाकखां पुत्र श्री खमीशा खां 3/5 आदमखां पुत्र श्री खमीशा खां 3/6 दली पत्नी खमीशा खां 4. मुसे खां पुत्र श्री अकबर खां 5. आलम खां पुत्र श्री अकबर खां 6. अहमद खां पुत्र श्री अकबर खां 7. रहीमों धर्मपत्नी श्री अकबर खां 8. लतीफ खां पुत्र श्री मुरीद खां 9. रिमू खां पुत्र श्री दीनू खां 10. मठार खां पुत्र श्री जानू खां 11. लखमीर खां पुत्र श्री जानू खां कौम मूसलमान निवासी भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 12. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2013 बअनवान मादल खां वगैरा बनाम मिसरे खां वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.01.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। अपीलांटस व उतरदातागण के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 626 रकबा 88.03 बीघा की आई हुई है, वादीगण 01 व कथित वादीगण 02 द्वारा भूमि खरीदी जाकर माफिक विक्रेताओं के कब्जा सुपुर्द अनुसार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कोई वाद पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस को वादी बताते हुए वाद पेश किया गया जबकि मूल वाद में लगे वकालतनामा पर अपीलांटस के हस्ताक्षार ही नहीं है, इस बात पर अधीनस्थ न्यायालय न कोई ध्यान नहीं दिया व बिना हसन खां को न्यायालय में उपस्थित किये व सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभावी क्रेता खातेदार है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। मौके का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। 15 दिन पूर्व उतरदातागण 01 जबरन अपीलांटगण के कब्जा काश्त की भूमि पर स्थित बाड़ व तारबंदी तोड़ कर अपीलांट के कब्जा की भूमि में कब्जा करने को आमादा हुए जिस पर अपीलांट ने गांव के मौजिज लोगों को इकठ्ठा कर कारण पूछा तो उतरदातागण 01 ने कहा कि तुम्हारे कब्जे की भूमि की तरमीम मैंने मेरे हिस्से में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करवा चुका तथा अब कब्जा करूगा तुम्हें जो करना वह करो तब अपीलांट को अपने अधिकार संशयप्रद लगे तब अपीलांटस ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा ज्ञान करवाया अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पत्रावली की नकले मांगी जो दिनांक 19.03.2021 को प्राप्त हुई व अन्य आवश्यक राजस्व नकलें जो दिनांक 30.03.2021 को प्राप्त कर ज्ञान के बाद वकील मुकर्रर कर उक्त अपील वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2013 बअनवान मादल खां वगैरा बनाम मिसरे खां वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2013 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर